भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2515

13 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

डेयरी उत्पादों में मिलावट

†2515. डॉ.के. सुधाकर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में घी, पनीर और मक्खन सहित नकली और मिलावटी डेयरी उत्पादों के उत्पादन और बिक्री से संबंधित बढ़ती रिपोर्टों पर संज्ञान लिया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा दूध और डेयरी उत्पादों के कुल कितने निगरानी नमूने एकत्र किए गए और उनमें से कितने नमूने निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए;

(ग) सरकार द्वारा घटिया या असुरक्षित डेयरी उत्पादों का उत्पादन करने वाले उत्पादकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या मिलावटी खाद्य वस्तुओं के एक राज्य से दूसरे राज्य के परिवहन पर निगरानी के लिए केंद्रीय और राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों के बीच कोई समन्वित तंत्र मौजूद है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतावराव जाधव)

(क) से (घ): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को खाद्य पदार्थों हेतु विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने और मानव उपभोग हेतु सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने का अधिदेश प्राप्त है।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन और प्रवर्तन केंद्र और राज्य सरकारों की साझा जिम्मेदारी है। जहां एफएसएसएआई विज्ञान-आधारित मानक निर्धारित करने और समग्र समन्वय सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है, वहीं राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण मुख्य रूप से जमीनी स्तर पर प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं।

उपर्युक्त अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के तहत निर्धारित मानकों, सीमाओं और अन्य सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) अपने 04(चार) क्षेत्रीय कार्यालयों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों के माध्यम से पूरे वर्ष दूध और दूध उत्पादों सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों के लिए नियमित रूप से स्थानीय/लक्षित विशेष प्रवर्तन व निगरानी अभियान, निरीक्षण व नमूनाकरण संबंधी कार्यकलाप संचालित करता है। यदि मानकों से कोई विचलन या खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम (एफएसएसआर) का उल्लंघन पाया जाता है, तो चूककर्त्ता खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार दंडात्मक उपायों सहित नियामक कार्रवाई की जाती है।

खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (एफएसएसएआई) उभरते मुद्दों, नीतिगत सुधारों और खाद्य सुरक्षा कार्यान्वयन तंत्र को सुदृढ़ करने पर केंद्रित विचार-विमर्श को सुविधाजनक बनाने के लिए नियमित अंतराल पर केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) की बैठकें आयोजित करता है। केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठकों के माध्यम से, प्रवर्तन तंत्र की स्थिति की समीक्षा करने और खाद्य सुरक्षा उपायों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्तों के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जाती हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में नियमों का पालन न करने के लिए दूध और दूध उत्पादों के संबंध में दोषी खाद्य व्यवसाय संचाल की (एफबीओ) के विरूद्ध की गई कार्रवाई का विवरण निम्ननुसार है:-

वित्तीय वर्ष	**विश्लेषण किए गए नमूनों की संख्या**	**गैर-अनुरूप पाए गए नमूनों की संख्या**	**मामलों की संख्या जिन पर कार्रवाई शुरू की गई है ।**
2024-25	33405	12780	12,057

*****